न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ (सीकर)

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 48 / दावा / 2018

1. प्रभूदयाल पुत्र स्व0 श्री रामूराम जाति कुमावत निवासी रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जरिये वादमित्र(हितमित्र) कमलादेवी धर्मपत्नि प्रभूदयाल जाति कुमावत निवासिनी ग्राम रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– वादी

ब ना म

1. कालूराम पुत्र रामूराम
2. ओमप्रकाश
3. केशरमल
4. गिरधारीलाल

पुत्रगण सुरजाराम

5. मंजूदेवी
6. भंवरीदेवी
7. गीतादेवी

पुत्रियां सुरजाराम

8. मोहनीदेवी पत्नि सुरजाराम
9. मंगली देवी पत्नि बोदूराम
10. रामचन्द्र
11. धन्नाराम

पुत्रगण बोदूराम

12. पूजा पुत्री बोदूराम
13. तनकुमारी पुत्री रूपचंद
14. निहित
15. मोहित

पुत्रगण रूपचंद

नाबालिग जरिये– संरक्षक पिता रूपचंद पुत्र प्रेमराज जाति कुमावत निवासी रामगढ तहसील दांतारामगढ

16. मदनसिंह पुत्र प्रहलादसिंह जाति राजपूत निवासी रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
17. पटवारी, पटवार हल्का धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
18. उप–पंजीयक, दांतारामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
19. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा , उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 88, 188 आरटीएक्ट

उपस्थितिः

1. श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत वकील वादी की ओर से
2. प्रतिवादी सं0 1 ता 8 व 13 ता 16 की ओर सें वकील श्री शिवपाल सिंह।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांक– 17.07.2019

1. प्रतिवादी सं0 1 ता 8 व 13 ता 16 की ओर सें पेश आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर बहस बकुलाय सुनी गई। बहस बकुलाय पर मनन किया गया। आवेदन अंतर्गत अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व जवाब आवेदन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का अवलोकन किया गया बाद में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। मूलवाद व जवाबदावे को पढा जाकर मनन किया गया।

2. आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का सार तथ्य व आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेशकर्तागण का कथन यह है कि प्रस्तुत वाद का मुख्य अनुतोष लिखावट दिनांक 16.09.1991 के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा की मांग की गई है विधि के अनुसार किसी भी प्रकार की लिखावट अथवा इकरारनामे के आधार पर कानूनी हक व अधिकार प्राप्त करने के लिए माननीय सक्षम सिविल न्यायालय में इसकी पालना हेतु वाद प्रस्तुत कर चारजोही करनी पड़ेगी। किसी भी प्रकार कि लिखावट अथवा इकरारनामे के आधार पर किसी भी प्रकार के हक व अधिकार तय करने का कानूनी प्रावधान है। इसलिए प्रस्तुत वाद राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार का न होकर माननीय सिविल न्यायालय के क्षैत्राधिकार का है इसलिए प्रस्तुत वाद न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार का नहीं होने के कारण विधि द्वारा वर्जित होने के कारण प्रथम दृष्ट्या ही खारिज किये जाने योग्य है।

3. मूलवाद में वादी का कथन मूलवाद का सार विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 58 रकबा 1.6100 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 62/823 रकबा 0.1000 हैक्टयर किता 2 कुल रकबा 1.7100 हैक्टेयर वाके ग्राम धोलासरी पटवार हल्का धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। वाद में वादी का कथन है कि विवादित कृषि भूमियों में सें हिस्सा 1/2 पर कब्जेशुदा है व वाद मे वर्णित खसरा नम्बरों में सें 1/5 खातेदारीशुदा है किन्तु मौके पर बाहमी बंटवारे अनुसार 1/2 हक हिस्सा वादी के हिस्से मे आया है जो वादी का कब्जे एवं काश्तशुदा है। उक्त 1/2 हक हिस्से की भूमि की स्टाम्प की कीमती 1 रूपये पर लिखापढी भी उसी समय यानि दिनांक 16.07.1991 को गांव व समाज के मौतबिरान लोगों की मौजूदगी में की गई है जिसकी फोटोप्रति संलग्न वादपत्र है। वादी ने वाद की मद संख्या 3 में लिखा है कि वाद में वंचित भूमियों का बाहमी बंटवारा दिनांक 16.07.1991 को होने के वाद उक्त भूमियों में सें 1/2 हक हिस्से की भूमियों के चारों तरफ सींव नींव कायम कर रखी है व निर्विवाद रूप सें काबिज है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड मे खातेदारी सामलाती होने व वादी के नाम सें खातेदारी मात्र 1/5 हिस्से की ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी ने दिनांक 16.07.1991 की लिखापढी के आधार पर वाद में वर्णित खसरा नम्बर भूमियों में 1/2 खातेदार काश्तकार घोषित होने के लिए वाद पेश किया है जबकि वाद में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार वादी 1/5 का खातेदार काश्तकार है। वादी द्वारा पेश फोटोप्रति

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

लिखावट दिनांक 16.07.1991 के आधार पर वादी को वाद में वर्णित भूमि में 1/2 खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि कोई भी लिखावट के आधार पर वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

4. प्रतिवादीगण वकील द्वारा पेश रूलिंग RLW 2009 (1) पेज नम्बर 344 दर्शाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 88, 183, 207 की प्र.सं. आदेश 7 नियम 11 अपंजीकृत करार के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करना – अभिनिधारित – अपंजीकृत के आधार पर दायर वाद को सुनने की अधिकारिता राजस्व न्यायालयों को नहीं है और न ही अपंजीकृत करार के आधार पर खातेदारी अधिकार अर्जित किये जा सकते है। इसी आधार पर अधिकार एवं स्वत्व साबित करने के लिए अधिकारिता सिविल न्यायालयों में निहित है। अतः विनिर्दिष्ट अनुपालनार्थ वाद लाना ही होगा।

5. क्योंकि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 7 नियम 11 सीपीसी निम्न आधारों पर है–

(क). जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख). जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय सें नियम किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग). जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(घ). **जहां वादपत्र में के कथन सें यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।**

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

वादी राजस्व रिकॉर्ड अनुसार 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार है और वादी द्वारा मात्र लिखावट के आधार पर 1/2 हिस्से की खातेदारी की घोषणा को लेकर न्यायालय द्वारा अनुतोष चाहा गया है। बिना किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज के 1/2 हिस्से की खातेदारी हेतु उद्घोषणा का अनुतोष वादी इस न्यायालय सें प्राप्त नहीं कर सकता है। **अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 7 नियम 11 सीपीसी के आधारों सें बिन्दु सं0 घ. के अनुसार वादी के वादपत्र के कथन सें यह स्पष्ट होता है के वाद विधि द्वारा वर्जित है। वादी का वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होने के कारण व वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण**

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण सं0 1 ता 8 व 13 ता 16 की ओर सें पेश आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। वाद वादी का खारिज किया जाता है क्योंकि वादी 1/5 हिस्से का ही खातेदार काश्तकार है अतः वादी राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार बंटवारा का नया दावा इस न्यायालय में लाने हेतु स्वतंत्र है। आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर खारिज वाद की डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 17.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मय इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम हो व बाद दफ्तर दाखिल हो।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रभूदयाल बनाम कालूराम आदि

दावा दावा बंटवारा, उद्घोषण व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 48 / दावा सन् 2018 निर्णय दिनांक. 17.07.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी **श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत** मिनजानिब मुद्दई व **श्री शिवपाल सिंह** मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि प्रकरण में प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का मूलवाद खारिज किया जाता है।
उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है

बीज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.07.2019 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प तजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफरिक	0	00
मुतफरिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ (सीकर)

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 48 / दावा / 2018

1. प्रभूदयाल पुत्र स्व0 श्री रामूराम जाति कुमावत निवासी रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जरिये वादमित्र(हितमित्र) कमलादेवी धर्मपत्नि प्रभूदयाल जाति कुमावत निवासिनी ग्राम रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– वादी

ब ना म

1. कालूराम पुत्र रामूराम
2. ओमप्रकाश
3. केशरमल
4. गिरधारीलाल } पुत्रगण सुरजाराम
5. मंजूदेवी
6. भंवरीदेवी
7. गीतादेवी } पुत्रियां सुरजाराम
8. मोहनीदेवी पत्नि सुरजाराम
9. मंगली देवी पत्नि बोदूराम
10. रामचन्द्र
11. धन्नाराम } पुत्रगण बोदूराम
12. पूजा पुत्री बोदूराम
13. तनकुमारी पुत्री रूपचंद
14. निहित
15. मोहित } पुत्रगण रूपचंद } नाबालिग जरिये– संरक्षक पिता रूपचंद पुत्र प्रेमराज जाति कुमावत निवासी रामगढ तहसील दांतारामगढ
16. मदनसिंह पुत्र प्रहलादसिंह जाति राजपूत निवासी रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
17. पटवारी, पटवार हल्का धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
18. उप–पंजीयक, दांतारामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
19. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा , उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 88, 188 आरटीएक्ट

उपस्थितिः

1. श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत वकील वादी की ओर से
2. प्रतिवादी सं0 1 ता 8 व 13 ता 16 की ओर सें वकील श्री शिवपाल सिंह।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner